राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 58/2021

दायर दिनांक 16.8.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1- मननराज सोनी पुत्र मनीष सोनी जाति सोनी जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती मोनिका पत्नि मनीष सोनी निवारी रूपनगढ़ हाल निवासी 1/243 हाउसिंह बोर्ड कॉलोनी वार्ड न0 22 किशनगढ़ जिला अजमेर

......वादी

वनाम

1- कैलाश चन्द पुत्र उगम लाल
2- मनीष पुत्र कैलाश चन्द
3- मिनाक्षी पुत्री कैलाश चन्द
4- रजनी पुत्री केलाश चन्द
5- अशोक कुमार पुत्र उगमलाल
6- प्रेम पुत्री उगमलाल
7- मन्जू पुत्री उगमलाल
8- मधू पुत्री उगमलाल
9- ललिता पुत्री उगमलाल
सर्व जाति सोनी, सर्व निवासीगण रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़
10- एच0 ए0 डव्लपर्स प्रा0 लि0 प्लांट नं0 1 सेक्टर नं0 128 फरीदावाद जरिये डाईरेक्टर सुरेश कुमार पुत्र मिया सिंह कौम जाट सा0 नरवाना तहसील नरवाना जिला जिन्द, हरियाणा
11-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़
12- उपपंजीयक , रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

वद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 रा0 का0 अधि0 1955

निर्णय

दिनांक 23.3.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त, पैतृक कब्जे, काश्त, हक हिस्से, अधिकार में आयी कृषि भूमि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में स्थित है। जिसके ख0न0 2080 रकबा 0.7685 है0 भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के पारिवारिक मुखिया उगमलाल थे जिसके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 वंशज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का पारिवारिक सजरा वाद पत्र में संलग्न है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 का पारिवारिक सजरा अनुसार वादी का वादग्रस्त कृषि आराजी में पैतृक सम्पति होने से जन्म से अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादी वाद वर्णित आराजी में पैतृक हिस्सा संयुक्त रूप से निहित है। इस अनुसार वादी को अपने हिस्से की खातेदारी की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने के लिये वादी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश किया है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के हिस्से ... नहीं करवा रहे है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:37:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की पैतृक भूमि है। हिन्दू उत्तराधिकारी विधि के अनुसार वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/192 हिस्सा निहित है। वादी वाद ग्रस्त कृषि भूमि में मौके पर अपने हिस्से अधिकार की भूमि पर काबिज काश्त होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 लगायत 9 का वादी की वाद वर्णित आराजी पर हक, हिस्सा अधिकार में किसी प्रकार से कब्जा, काश्त, अधिकार नहीं है। केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 5 लगायत 9 के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज चली आ रही है। वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 5 लगायत 9 की पैतृक कृषि भूमि है इस कारण वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही अधिकार व हिस्सा है। वादी अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने एवं अपने हिस्से का बंटवारा कराने का अधिकार रखता है। वाद वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त कब्जे, काश्त की भूमि है जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हो रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 को कानूनन 1/96 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को अपने हिस्से से अधिक हिस्सा अन्तरण एवं विधिवत बंटवारा किये बिना ही किसी अजबनी केता को वादग्रस्त अन्तरण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरण, विक्रय बन्धक रहन करने हेतु आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी वादग्रस्त आराजी में अपने हक हिस्से अधिकारी की कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 का केवल मात्र ओपचारिक रूप से अधिकार अभिलेख में खातेदारी का इन्द्राज होने का अब अनुचित नाजायज फायदा उठाते हुये वाद वर्णित भूमि में वादी को जबरन बेदखल करने, काश्त करने में बाधा, रूकावट, व्यवधान कारित करने पर उतारू हो रहे है। दिनांक 05.8.2021 को प्रतिवादीगण ने अजनबी केता को जमीन विक्रय हेतु दिखा रहा था। विक्रय की सौदेबाजी कर रहा था उसी वक्त वादी मौके पर पंहुच गया व प्रतिवादी संख्या 1 को मना किया तो वह वादी का हक व अधिकार को मानने से इन्कार कर दिया। वादी के पास अपने हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने एवं अपने हिस्से का बंटवारा कराने का वाद लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का हिस्से अनुसार मय नींव, सींव बंटवारा किया जाकर अलग से खाता खसरा लगान कायम किये जाने एवं राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की बंटवारे की डिक्री पारित की जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 , 6 लगायत 8 , 11, 12 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 5 व 9 के सम्मन अदम तामिल प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब अनुसार राजकीय नियमानुसार जो हिस्सा उत्तराधिकारी के रूप में निहित होता है वह दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वादी की ओर से प्रकरण में धारा 53 रा0का0अधि0 का अनुतोष नहीं लेने बाबत् प्रार्थना पेश किया गया जिस पर वकील वादी को सुना गया, सुनवायी अनुसार प्रकरण से धारा 53 को हटाने (डिलीट) करने के आदेश दिये गये। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। तदनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 2080 रकबा 0.7685 है0 भूमि में वादी को 1/224 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आयी कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन न करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (किशनगढ़)
(उपखण्ड रूपनगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:37:12 IST
Reason: SelfAttested